न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 52/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामनिवास पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी गांव मांगलोदी ग्राम पंचायत सारगोठ तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामजीवन बेनीवाल।

निर्णय दिनांक–12/09/2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील खण्ड 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत, जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 खण्ड 8 के तहत पारित आदेश कमांक रसद/अभि./2019/247 दिनांक 20.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ मियाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपीलार्थी द्वारा पूर्व में उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका 11895/19 रामनिवास बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पेश की जिस पर बाद सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2019 से प्रार्थी (अपीलान्ट) को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश करने व न्यायालय हाजा को अपील प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत अपील को एक माह के भीतर विधि अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये है।

मियाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.2.19 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने उपरोक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका 11895/19 रामनिवास बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पेश की जिस पर बाद सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2019 को प्रार्थी को न्यायालय हाजा के समक्ष 15 दिन के भीतर अपील पेश करने व अपील को एक माह के भीतर कानूनानुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये है। प्रार्थी को नोटिस मिलने पर कार्यवाही का ज्ञान हुआ जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर के कार्यालय में नकल आवेदन पेश किया गया जिस पर

कलक्टर, नागौर

महिने भर बाद 25.06.2019 को नकल प्रार्थी को प्राप्त हुई जिस पर न्यायिक सलाह अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में उपरोक्त याचिका पेश की गई जिसमें 15 दिवस भीतर अपील पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उपरोक्त अपील माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2019 के 15 दिवस के भीतर पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद शुमार किये जाने योग्य है। इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई है उसे कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्यायहित में होने का कथन करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपीलार्थी द्वारा पेश अपील को स्वीकार करने एवं अपीलार्थी को उक्त अपील में अग्रीम सुनवाई किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ने वकील प्रार्थी/अपीलान्ट की बहस का विरोध किया, तथा मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण तथ्यों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रकरण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई कर अपील का विधि सम्मत निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी रामनिवास पुत्र पेमाराम निवासी मांगलोदी को दिनांक 30.01.2017 को जिला कलक्टर (रसद) नागौर द्वारा प्राधिकृत थोक विक्रेता/प्राधिकृत उचित कीमत दुकानदार के रूप में खाद्यानों एंव अन्य आवश्यक पदार्थो के क्रय, विक्रय एंव भण्डार करण के लिए एक प्राधिकार पत्र संख्या 1269/17 अनुज्ञापत्र प्राधिकृत कर लाईसेंस प्रदान किया गया। प्रार्थी रामनिवास (रामनिवास एफ पी एस 30046) उचित कीमत दुकान का प्राधिकार पत्र मिलने के बाद से ही प्राधिकार पत्र के साथ सलग्न नक्शे के अनुरूप व प्राधिकार पत्र में वर्णित निबंधन एंव शर्तो के अनुरूप व आदेश 1976 के अनुरूप कार्य कर रहा था व समस्त ग्रामवासी निवासी मांगलोदी प्रार्थी की सेवा/सर्विस से संतुष्ट थे व प्रार्थी गोदाम पर उचित मूल्य दुकान पर पोश मशीन से वितरण कर ग्रामवासियों को सर्विस दे रहा था। जिसमें राशन कार्ड नम्बर या आधार कार्ड नम्बर या भामाशाह कार्ड नम्बर व साथ ही अंगुष्ठ निशान से ही पोश मशीन से वितरण सम्भव है व पोश मशीन द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाईश नहीं है। दिनांक 06.02.2019 को शिकायतकर्ता मूलाराम बावरी ग्राम मांगलोदी द्वारा जिला रसद अधिकारी को एक टाईप सुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि उसके राशन कार्ड से 10 किलो गेहूं व 2.5 लीटर केरोसीन मिलता है जिसमें से उसे आधा ही दिया जा रहा है व रामनिवास 2.5 लीटर केरोसीन व पांच किलो गेहूं निकाल लेता है। जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा राशन डीलर द्वारा अनियमितता के संबंध में जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उपभोक्ताओं के समक्ष भौतिक सत्यापन कर गेहूं व केरोसीन व चीनी का स्टॉक सही पाया गया तथा आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड प्रदर्शित नहीं होना पाया गया व शिकायतकर्ता के बयानो के आधार पर 75 किलोग्राम गेहूं व 21 लीटर केरोसीन की अनियमितता बरतना पाया गया है जिस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2019 को प्रार्थी रामनिवास (एफ पी एस 30046) ग्राम मांगलोदी का राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एंव विनियमन) आदेश 1975 के खण्ड 8 के अनुसार प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है।

कलक्टर, नागौर

प्रार्थी को बिना युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये व प्रार्थी का जवाब रेकर्ड पर ना लेने व निलम्बन 90 दिन की अवधि पार होने से विधि विरूद्ध होने से इस निलम्बन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक एस.बी.रिट याचिका संख्या 11895/19 पेश की जिस पर बाद सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2019 को प्रार्थी को जिला कलक्टर नागौर के समक्ष 15 दिन के भीतर अपील पेश करने व अपील को 01 माह के भीतर कानूनानुसार निस्तारित करने का निर्देश पारित किया गया है।

जिला रसद अधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश 20.02.2019 को विधि विरूद्ध व दस्तावेजो की अनदेखी कर मात्र शिकायतकर्ता के मौखिक बयानों के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है जो आदेश 1976 के खण्ड 8 के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2013 (2)WLN Page 608 में मा राहेनावाली स्वंय सहायता समूह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित किया है कि निलम्बन आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिये जो विधि विरूद्ध है लेकिन उपरोक्त निलम्बन आदेश में प्रार्थी को बिना सुने ही मात्र राजनैतिक द्वेषता रखने वाले शिकायतकर्ता द्वारा झूठे तथ्यो पर आधारित शिकायत के आधार पर पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश 1976 के खण्ड 8 (2) में स्पष्ट वर्णित है कि इस आदेश के अधीन रद्दकरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकारधारक को प्रस्तावित रद्दकरण के विरूद्ध अपना पक्ष कथन में रखने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो लेकिन प्राधिकारधारक को अपना पक्ष कथन में रखने का अवसर प्रदान किये बिना प्राधिकार के रद्दकरण की कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान या उनकी प्रत्याक्षा में 90 दिवस से अधिक कालावधि के लिए प्राधिकार को निलम्बित किया जा सकेगा। आदेश 1976 के खण्ड 8 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निलम्बन आदेश दिनांक 20.02.2019 पारित किया गया है जो 90 दिवस से ज्यादा होने के बावजूद भी विभागीय कार्यवाही केस संख्या 16/19 राजस्थान सरकार बनाम रामनिवास उ.मू.दु. मांगलोदी कुचामनसिटी में आगामी तारीखों पर निलम्बन का आदेश यथावत रखा गया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त करने योग्य है व प्रार्थी रामनिवास (एफ पी एस 30046) का प्राधिकार पत्र रेस्टोर कर रामनिवास को आगामी आदेश तक उचित मूल्य दुकान पर आवश्यक पदार्थो के क्रय विक्रय एंव भण्डार के लिए अधिकृत करे। उचित मूल्य दुकान पर आवश्यक सूचनाओं का बोर्ड लगाया हुआ था मगर सड़क निर्माण कार्य होने के कारण बोर्ड सडक निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान बोर्ड गिर गया था मगर दुकान के बाहर रखा हुआ था व बाद में किले लगा कर पुनः स्थायी रूप से बोर्ड लगा दिया गया था जो किसी भी अनियमितता के या दुरूपयोग होना नहीं है। प्रार्थी द्वारा पोश मशीन से माल वितरण किया जाता था जिसमें ऑनलाईन डाटा उपलब्ध रहता है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाईश नहीं रहती है तथा ग्रामीणों को सुचारू रूप से आपूर्ति करने के लिए किसी दिन ग्राहक द्वारा राशनकार्ड नहीं लाने पर भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड से सामग्री वितरण की जाती थी जो ऑनलाईन एन्ट्री कर पदार्थ का वितरण किया जाता रहा है व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट पाया गया कि वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार मांगलोदी की पोश मशीन कोड नं.

30046 में स्टॉक गेहूं, शून्य, केरोसिन 115 लीटर व चीनी 55 किलोग्राम दर्ज था जो उपस्थित उपभोक्ताओं के समक्ष भौतिक सत्यापन पर गेहूं शून्य, केरोसीन 115 लीटर व चीनी 55 किलोग्राम पायी गयी अर्थात स्टॉक सही पाया गया। अगर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती तो स्टॉक का मिलान करने पर स्टॉक सही नहीं पाया जाता इससे स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायत झूठे तथ्यों पर आधारित है जिसे योग्य मिलान निलम्बन आदेश खारिज होने योग्य है।

शिकायतकर्ता राजनैतिक द्वेषता रखने के कारण शिकायत झूठे तथ्यों पर पेश कर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बन कराने के उद्देश्य से व प्राधिकार पत्र खुद व अन्य व्यक्ति को एलोट करवाने की नियत से पेश किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिन ही जिला रसद अधिकारी द्वारा उस पर निलम्बन करे मार्क कर प्रार्थी को बिना सुने व वास्तविक स्थिति को बिना जाने निलम्बन ऑर्डर पारित किया गया जो अपास्त योग्य है तथा प्रार्थी को नोटिस मिलने पर प्रार्थी ने जवाब आगामी तारीख दिनांक 07.03.2019 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था व खुद व्यक्तिगत हाजिर हुआ था तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा जवाब पर मार्क कर लघु हस्ताक्षर करे लेकिन आदेशिका विभागीय प्रकरण संख्या 16/19 प्राप्त होने पर पता चला कि प्रार्थी का जवाब न ही विभागीय कार्यवाही की पत्रावली पर लिया गया है ना ही प्रार्थी की हाजरी बाबत कोई आदेशिका में कोई उल्लेख है व दिनांक 07.03.2019 के पश्चात् 09.04.2019 व 29.04.2019, 14.06.2019 तथा 11.07.2019 व आगामी पेशी पर प्रार्थी हाजिर रहा तथा मौखिक वस्तुस्थिति से अवगत कराया लेकिन इसके बावजूद पत्रावली पर इसका कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर राजनैतिक दबाव में आकर आगामी कार्यवाही नहीं कर प्रार्थी का प्राधिकृत पत्र निलम्बन आज दिन तक जारी है। जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त करने योग्य है। प्रार्थी का प्राधिकार पत्र केवल मात्र मूलाराम बावरी शिकायतकर्ता के राजनैतिक द्वेषता व बदनियतिपूर्वक झूठी शिकायत कर इसके मौखिक बयान पर निलम्बन करना गैर कानूनी होने से खारिज करने योग्य है तथा प्रार्थी का जवाब पत्रावली पर लेना न्याय निर्णय में अनिवार्य है तथा प्रार्थी का विस्तृत जवाब पेश करने का मौका देना न्यायहित में है जिससे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र में अंतिम पद में लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि दुकानदार को पहले सूचित नहीं करें। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को बिना सुने, झूठे तथ्यों पर आधारित शिकायत पर निलम्बन करवाने का शिकायतकर्ता का इरादा स्पष्ट है तथा ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थी का विस्तृत जवाब पत्रावली पर लेकर प्रार्थी को सुनकर आदेश पारित करना न्यायोचित है। समस्त ग्रामवासी ग्राम मांगलोदी प्रार्थी की सेवा से संतुष्ट है तथा उनके बयान पत्रावली पर लिये जाना उचित व न्यायहित में है। केवल मात्र शिकायतकर्ता के मौखिक बयान व उसके पक्ष के लोगो के बयान लेना न्यायहित में नहीं है तथा निष्पक्ष गवाहों के बयान लेकर शामिल पत्रावली करना न्यायहित में होने से आदेश करने योग्य है का कथन करते हुए जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 20.02.2019 क्रमांक रसद/अभि/2019/247 को अपास्त कर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1269/17 दिनांक 30.01.2017 को पुनः बहाल करे तथा जिला रसद अधिकारी नागौर को आदेशित किया जावे कि विभागीय कार्यवाही संख्या 16/19 राजस्थान सरकार बनाम रामनिवास उ.मू.दु. मांगलोदी में प्रार्थी का विस्तृत जवाब पत्रावली पर लेकर व

उचित सुनवाई का अवसर दिये जाने का भी आदेश प्रदान करावें। अन्य कोई राहत जो प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध पारित फरमाई जाने का निवेदन किया।

श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलान्ट डीलर द्वारा उपभोक्ता मूलाराम पुत्र रतनाराम के 45 किलोग्राम गेहूँ व 5 लीटर केरोसीन, उपभोक्ता गोपालराम पुत्र सुजाराम के 30 किलोग्राम गेहूँ, व किशोर कुमार के 16 लीटर केरोसीन उक्त उपभोक्ताओं को नहीं देकर स्वंय के लिए दुरूपयोग करने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत की जॉच श्री रामजीवन बेनीवाल व रामअवतार पूनिया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.02.2019 को मौके पर जॉच की गई, एवं जॉच रिपोर्ट दिनांक 20.02.19 को जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रस्तुत की गई, जिस पर दिनांक 20.02.2019 विभागीय प्रकरण संख्या 16/2019 अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान करते हुऐ अपीलान्ट डीलर को जारी प्राधिकार पत्र को आदेश कमांक–रसद/अभि./2019/247 दिनांक 20.02.19 से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के अनुसार वक्त जॉच अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार की पोश मशीन अनुसार स्टॉक का सत्यापन्न करने पर स्टॉक सही पाया गया। अपीलान्ट डीलर द्वारा उपभोक्ता मूलाराम पुत्र रतनाराम के 45 किलोग्राम गेहूँ व 5 लीटर केरोसीन, उपभोक्ता गोपालराम पुत्र सुजाराम के 30 किलोग्राम गेहूँ, व किशोर कुमार के 16 लीटर केरोसीन उक्त उपभोक्ताओं को नहीं देकर स्वंय के लिए दुरूपयोग किया गया। फर्द मौका रिपोर्ट 15.02.2019 के अनुसार मौके पर उपस्थित अन्य उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन डीलर अपीलान्ट रामनिवास सही वितरण करता है। उक्त संबंध में पत्रावली का अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.03.2019 को जबाब भी प्रस्तुत कर दिया गया है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किये 90 दिवस से अधिक का समय भी व्यतीत हो चुका है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश कमांक–एफ–17(45)ख.वि./न्याय/2011 दिनांक 18.10.2017 के अनुसार विभागीय प्रकरण का निस्तारण भी 90 दिवस की अवधि में किये जाने के निर्देश है, परन्तु रेस्पोडेन्ट के यहां उक्त विभागीय प्रकरण संख्या–16/2019 दिनांक 20.02.2019 से विचाराधीन चल रहा है, जो कतई उचित नहीं है। उक्त आदेश दिनांक 18.10.2017 के अनुसार किसी का प्राधिकार पत्र 90 दिवस से अधिक अवधि तक निलम्बित नहीं रखा जा सकता है। अतः रेस्पोडेन्ट को उनके समक्ष विचाराधीन विभागीय प्रकरण संख्या–16/2019 का विधि प्रकिया अनुसार अब यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये जाना उचित है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बन का आदेश दिनांक 20.02.2019 को अपास्त किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 20.02.2019 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है कि वह विभागीय प्रकरण संख्या–16/2019 का विधि प्रक्रिया अनुसार यथाशीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। जिला रसद अधिकारी नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:18:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: